



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224754
CG-DL-E-28012021-224754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]
No. 44]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

सं. 2/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 53(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टॉलूईन डाई-आइसोसायनेट' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपादन शुल्क के मामले में उत्पादक के नाम में परिवर्तन करने के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 5 अगस्त, 2020, जिसे दिनांक 5 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020, जिसे 29 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने मध्यकालिक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी में उत्पादक “हान्वाह कैमिकल कॉर्पोरेशन” के नाम में संशोधन करके इसे “हान्वाह सोल्यूशन्स कॉर्पोरेशन” पढ़ा जाए।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (6) की प्रविष्टि में “हान्वाह कैमिकल कॉर्पोरेशन” शब्दों के स्थान पर “हान्वाह सोल्यूशन्स कॉर्पोरेशन” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 354/82/2017-टीआरयू(पीटी-II)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018 को सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 फरवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 181 (अ), दिनांक 23 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

No. 2/2021 -Customs (ADD)

G.S.R. 53(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification number 7/22/2020-DGTR, dated the 5th August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th August, 2020, had initiated review under sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), regarding change in the name of producer in the matter of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Toluene Di-isocyanate’ originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2018-Customs (ADD), dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 61(E), dated the 23rd January, 2018;

And whereas, the designated authority in its final findings in the mid-term review *vide* notification No. 7/22/2020-DGTR, dated the 29th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th October, 2020, has recommended that name of the producer ‘Hanwha Chemical Corporation’ in the Table in notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2018-Customs (ADD), dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 61(E), dated the 23rd January, 2018, be read as ‘Hanwha Solutions Corporation’;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2018-Customs (ADD), dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 61(E), dated the 23rd January, 2018, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 7, in column (6), for the words “Hanwha Chemical Corporation”, the words “Hanwha Solutions Corporation” shall be substituted.

[F.No. 354/82/2017-TRU (Pt-II)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 3/2018-Customs (ADD), dated the 23rd January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 61(E), dated the 23rd January, 2018 and last amended *vide* notification No. 5/2018-Customs (ADD), dated the 23rd February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 181(E), dated the 23rd February, 2018.